

[2024] 6 एस. सी. आर 346:2024 आईएनएससी 400

अरविंद केजरीवाल

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय

(आपराधिक अपील सं. 2493/2024)

10 मई 2024

[माननीय न्या. संजीव खन्ना और माननीय न्या. दीपांकर दत्ता]

विचाराधीन मुद्दा

क्या अपीलार्थी किसी हस्तक्षेपकारी कारक अर्थात् 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के कारण, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत/रिहाई पाने का हकदार है।

हेडनोट्स

जमानत - अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत-न्यायालय को संबंधित व्यक्ति और आस-पास की परिस्थितियों से जुड़ी विशिष्टताओं पर विचार करना होगा- अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया गया है, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है - गिरफ्तारी की वैधता और विधिमान्यता का प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है- अंतरिम जमानत मंजूर की गई।

अभिनिर्धारित किया गया : अपीलार्थी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21.03.2024 को गिरफ्तार किया गया- विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया- आदेश और निर्णय को चुनौती दी गई- गिरफ्तारी की वैधता और विधिमान्यता से संबंधित प्रश्न विचाराधीन है- अंतरिम जमानत देने

की शक्ति- 18वीं लोकसभा के आम चुनाव एक हस्तक्षेप कारक है- अधिक समग्र और स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण उचित है- अंतरिम जमानत देने के प्रश्न की जांच करते समय, न्यायालयों को संबंधित व्यक्ति और आसपास की परिस्थितियों से जुड़ी विशिष्टताओं पर विचार करना चाहिए- अपीलार्थी दिल्ली का मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों में से एक का नेता है- उसे दोषी नहीं ठहराया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है - अगस्त 2022 से जांच लंबित है- अपीलार्थी को अंतरिम जमानत देने से राजनेताओं को आम नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में रखने का प्रीमियम नहीं मिलता है- शर्तों और नियमों के अधीन अंतरिम जमानत दी गई। [पैरा 7, 8, 15]

जमानत - अंतरिम जमानत की मंजूरी- नियम और शर्तें:

अभिनिर्धारित किया गया: शर्तों और नियमों के अधीन अंतरिम जमानत मंजूर की गई- अपीलार्थी को 02.06.2024 को आत्मसमर्पण करना होगा- जमानत बांड सहित जमानत प्रस्तुत करनी होगी- अपीलार्थी को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में न जाने की हिदायत- अपीलार्थी अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य है कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो- अपीलार्थी वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेगा- अपीलार्थी किसी भी साक्षी से बातचीत नहीं करेगा और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेगा। [पैरा 18]

उद्धृत निर्णयज विधि

*सिबा शंकर दास उर्फ पिंटू बनाम ओडिशा राज्य व अन्य,
2024 एससीसी ऑनलाइन 410; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम*

नारा चंद्र बाबू नायडू, विशेष इजाजत याचिका (आपराधिक)
सं. 15099/2023-पर भरोसा किया।

मोहिंदर सिंह गिल व अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त,
नई दिल्ली व अन्य (1978) 2 एस. सी. आर. 272 (1978)
1 एस. सी. सी. 405; मुकेश किशनपुरिया बनाम पश्चिम
बंगाल राज्य (2010) 5 एस. सी. आर. 702 (2010) 15
एस. सी. सी. 154; सुनील फुलचंद शाह बनाम भारत संघ
व अन्य (2000) 1 एस. सी. आर. 945: (2000) 3 एस.
सी. सी. 409; दादू उर्फ तुलसीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य
[2000] पूरक 3 एस. सी. आर. 703 2000 आई. एन. एस.
सी. 479; सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य
व अन्य [2010] 15 (ए.डी.डी.एल.) एससीआर 201:(2011)
1 एस.सी.सी. 694; श्री गुरबखश सिंह सिबिया व अन्य
बनाम पंजाब राज्य [1980] 3 एस. सी. आर. 383 (1980)
2 एस. सी. सी. 565; केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन
निगम लिमिटेड व अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और
अन्य [1986] 2 एस. सी. आर. 278:(1986) 3 एस. सी.
सी. 156; अनुकुल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ व अन्य
[1997] पूरक 1 एससीआर 641:(1997) 6 एस. सी. सी. 1;
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (चुनाव आयोग की
नियुक्तियाँ) [2023] 9 एस.सी.आर. 1:2023 आईएनएससी
190; एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य व अन्य
[2001] पूरक 1 एससीआर 621:(2001) 7 एस. सी. सी.
126; के. आनंद नांबियार व अन्य बनाम मद्रास सरकार के
मुख्य सचिव व अन्य [1966] 2 एस. सी. आर.
406:ए.आई.आर. 1966 एस. सी. 657; महाराष्ट्र राज्य
बनाम आनंद चिंतामन दिघे [1990] 1 एस. सी. आर.
73:(1990) 1 एस. सी. सी. 397; अतहर परवेज बनाम

राज्य, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6662-को
संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; भारतीय दंड संहिता,
1860.

मुख्य शब्दों की सूची

अंतरिम जमानत; सजा का अंतरिम निलंबन।

निम्नलिखित से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपीलीय सं. 2493/2024

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के रि.या.आप. सं. 985/2024 में
दिनांक 09.04.2024 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारगण के प्रस्तुतकर्ता

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अमित देसाई, विक्रम चौधरी, वरिष्ठ
अधिवक्ता, विवेक जैन, मो. इरशाद, रजत भारद्वाज, करण शर्मा, अमित
भंडारी, ऋषिकेश कुमार, शादान फरासत, सुश्री सुचित्रा कुंभत, रजत जैन,
सादिक नूर, मोहित सिवाच, कौस्तुभ खन्ना, गोपाल शेनॉय, शैलेश
चौहान, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण।

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, सूर्यप्रकाश वी. राजू, अतिरिक्त
सॉलिसिटर जनरल, मुकेश कुमार मारोरिया, कानू अग्रवाल, अन्नम
वेंकटेश, जोहेब हुसैन, विवेक गुरनानी, हितार्थ राजा, सुश्री अभिप्रिया,
कार्तिक सबरवाल, विवेक गौरव, प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

अनुमति प्रदत्त।

2. इस अपील में अरविंद केजरीवाल ने विचारण न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें 21.03.2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया है।
3. कई कानूनी दलीलें और मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 का दायरा और उल्लंघन शामिल है। हमने अपीलार्थी और डीओई दोनों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना है, हालांकि सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है और विचारित निर्णय में समय लगेगा।
4. कार्यवाही के लंबे समय तक चलने को देखते हुए, 03.05.2024 को हुई सुनवाई में, हमने पक्षकारगण को नोटिस दिया था कि न्यायालय अंतरिम जमानत/रिहाई देने के प्रश्न की जांच कर सकता है। तदनुसार, हमने उक्त पहलू पर दलीलें सुनी हैं।
5. प्रवर्तन निदेशालय ने 17.08.2022 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 447क सहित धारा 120-ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत आर.सी. सं. 0032022क0053 में विधेय अपराधों के पंजीकरण के अनुसरण में 22.08.2022 को ईसीआईआर सं. एचआईयू-II/14/2022 पंजीकृत की थी। यह आर.सी. रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 20.07.2022 को की गई शिकायत और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निदेशक द्वारा दिए गए सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों पर दर्ज की गई थी।
6. डीओई द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप 26.11.2022 को पहली अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। विशेष न्यायालय ने 20.12.2022 को

संज्ञान लिया। इसके बाद, डीओई ने चार अनुपूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। सीबीआई ने एक आरोपपत्र दाखिल किया है, उसके बाद दो अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किए हैं। हालांकि, आरोप तय नहीं किए गए हैं।

7. इस स्तर पर, हमारे लिए या तो बहस पूरी करना या अंतिम रूप से निर्णय सुनाना संभव नहीं है। हालांकि, एक हस्तक्षेप करने वाला कारक है जिसने हमें वर्तमान आदेश पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए प्रेरित किया है, अर्थात् 18वीं लोकसभा के आम चुनाव, जो प्रगति पर हैं। चूँकि अपील हमारे समक्ष लंबित है, इसलिए हमें नहीं लगता कि हमारे लिए अपीलार्थी - अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत/रिहाई के लिए विचारण न्यायालय में जाने का निर्देश देना उचित होगा। हमारे समक्ष जांच और विचाराधीन कानूनी मुद्दों और विवादों को देखते हुए यह उचित नहीं हो सकता है।
8. यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा के आम चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण और अहम घटना है, क्योंकि यह राष्ट्रीय चुनाव वर्ष में होना चाहिए। लगभग 970 मिलियन मतदाताओं में से 650-700 मिलियन मतदाता अगले पांच वर्षों के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपने वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान करते हैं। इस अत्यधिक महत्व को देखते हुए, हम अभियोजन पक्षकार की ओर से उठाए गए इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि इस आधार पर अंतरिम जमानत/रिहाई प्रदान करना देश को नुकसान पहुंचाना होगा। अंतरिम जमानत/रिहाई प्रदान करने के प्रश्न की जांच करते समय, न्यायालय हमेशा संबंधित व्यक्ति और आसपास की परिस्थितियों से जुड़ी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हैं। वास्तव में, इसे अनदेखा करना अन्यायपूर्ण और गलत होगा।

9. अब हम अंतरिम जमानत/रिहाई देने की शक्ति पर कुछ निर्णयज विधि का संदर्भ लेंगे, जिसका प्रयोग विचारण न्यायालय द्वारा भी नियमित रूप से किया जाता है।
10. विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए, मुकेश किशनपुरिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, इस न्यायालय ने माना है कि नियमित जमानत देने की शक्ति में अंतरिम जमानत देने की शक्ति भी शामिल है।
11. सुनील फुलचंद शाह बनाम भारत संघ व अन्य मामले में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले में सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा अस्थायी रिहाई के माध्यम से पैरोल दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय और यह न्यायालय निर्दिष्ट कारणों से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई का निर्देश दे सकते हैं, जब अनुरोध को अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि, निरोध हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई की शक्ति का प्रयोग केवल अति अपेक्षित और योग्य मामलों में ही किया जाता है।
12. दादू उर्फ तुलसीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 की धारा 32क के बावजूद, जो अपीलीय न्यायालय को दोषी को दी गई सजा को निलंबित करने से रोकती है, यह देखा गया है, यह प्रतिबंध पैरोल या फरलो देने की न्यायालय की शक्ति और अधिकार को प्रभावित नहीं करता है, भले ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो और उसे सजा सुनाई गई हो और उसकी अपील खारिज कर दी गई हो।

13. **अतहर परवेज़ बनाम राज्य**, एनडीपीएस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में अंतरिम जमानत देने की शक्ति पर हम में से एक (संजीव खन्ना) द्वारा लिखित दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, उल्लेखित निर्णयों के अतिरिक्त, सिद्धराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य का संदर्भ देता है, जो निर्णय श्री गुरबखश सिंह सिब्बिया व अन्य बनाम पंजाब राज्य, और केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड व अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली व अन्य में संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय पर आधारित है, और टिप्पणी करता है:

“20. संहिता में “अंतरिम” जमानत की परिभाषा नहीं दी गई है। यह कानूनी नवप्रवर्तन द्वारा एक नवाचार है जिसे स्वीकृति और मान्यता प्राप्त हुई है। “अंतरिम” जमानत/“अंतरिम” सजा का निलंबन, कानूनी शब्दावली के हिस्से के रूप में इस्तेमाल और स्वीकार किया गया है और ये अच्छी तरह से ज्ञात अभिव्यक्तियाँ हैं। उक्त शब्दों का इस्तेमाल विरोधाभास रूप से और अंतिम न्यायनिर्णयन तक विचारण या अपील के लंबित रहने के दौरान नियमित जमानत पर रिहाई को अलग करने हेतु किया जाता है। “अंतरिम” निलंबन या जमानत के लिए आवेदन मुख्य रूप से तब प्रस्तुत किए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है, जब अभियुक्त या दोषी व्यक्ति नियमित जमानत या सजा के निलंबन का हकदार नहीं होता है या उसे नियमित जमानत या सजा का निलंबन नहीं दिया जा सकता है, या नियमित जमानत देने के लिए आवेदन विचाराधीन है और अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। “अंतरिम” जमानत जिसमें अस्थायी रिहाई शामिल है, बाध्यकारी परिस्थितियों

और आधारों पर दी जा सकती है, तब भी जब नियमित जमानत उचित नहीं होगी। दिए गए तथ्यों में असहनीय दुख और पीड़ा, अस्थायी रिहाई को उचित ठहरा सकती है, तब भी जब नियमित जमानत की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थितियों को फिर से गिनना मुश्किल नहीं है, हालांकि सूची बनाना एक अनावश्यक अभ्यास होगा।"

14. अंतरिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग आमतौर पर कई मामलों में किया जाता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है। यह मामला अपवाद नहीं है।

15. अभियोजन पक्षकार ने सही ढंग से बताया है कि अपीलार्थी - अरविंद केजरीवाल नौ (9) नोटिस/समन के बावजूद पेश होने में विफल रहे, जिनमें से पहला अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था। यह एक नकारात्मक कारक है, लेकिन कई अन्य पहलू हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। अपीलार्थी - अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय दलों में से एक के नेता हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं। वर्तमान मामले में जांच अगस्त 2022 से लंबित है। अरविंद केजरीवाल को, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 21.03.2024 को गिरफ्तार किया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तारी की वैधता और विधिमान्यता को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और हमें अभी भी इस पर अंतिम निर्णय देना बाकी है। तथ्यों की स्थिति की तुलना फसलों की कटाई या व्यावसायिक मामलों की देखभाल करने की याचिका से नहीं की जा सकती। इस

पृष्ठभूमि में, एक बार जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो जाता है और गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्न विचाराधीन हो जाते हैं, तो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव होने की पृष्ठभूमि में, अधिक समग्र और स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण उचित है।

16. अब हम शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए निर्णयों का संदर्भ लेंगे:

(i) अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ व अन्य में, इस न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 की उपधारा (5) को संवैधानिक चुनौती को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, और इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि उक्त उपधारा के प्रावधान में कहा गया है कि निवारक निरोध के अधीन व्यक्ति वोट दे सकता है। निषेध को कई आधारों पर बरकरार रखा गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के उद्देश्य को बढ़ावा देता है। वास्तव में इस न्यायालय के ऐसे निर्णय हैं जो लोकतंत्र में चुनावों के महत्व को दर्शाते हैं, जिन्हें संसदीय प्रणाली और इसकी स्थापना का बैरोमीटर और जीवन रेखा बताया गया है।

(ii) के. आनंद नांबियार व अन्य बनाम मद्रास सरकार के मुख्य सचिव व अन्य मामले में, संसद सदस्यों पर लागू भारत रक्षा नियम, 1962 को चुनौती इस आधार पर खारिज कर दी गई कि विधानमंडल के सदस्य गिरफ्तारी से मुक्ति का दावा नहीं कर सकते। निरोध में लिए जाने से संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।

(iii) महाराष्ट्र राज्य बनाम आनंद चिंतामन दिघे मामले में, इस न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए पाया कि उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए बयानों और अन्य सामग्री पर गौर करने से इनकार करके आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत दोषी ठहराए गए एक अभियुक्त को जमानत देने में स्वयं को गलत दिशा में निर्देशित किया है।

17. हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि पैराग्राफ 7, 8 और 14 में हमारे द्वारा दर्ज किए गए तर्क के परिणामस्वरूप राजनेताओं को विशेषाधिकार या विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है। पैराग्राफ 7, 8 और 14 में उल्लेखित अनुसार, मामले की कई विशिष्टताएँ हमारे सामने आई हैं। **सिबा शंकर दास उर्फ पिंटू बनाम ओडिशा राज्य व अन्य** में, इस न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को हटा दिया, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि इस शर्त को लागू करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारा चंद्र बाबू नायडू** में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने राज्य द्वारा दायर अपील में अंतरिम आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को सार्वजनिक रैलियों और बैठकों के आयोजन या उनमें भाग लेने से रोकने वाली शर्त को हटा दिया है, जिससे उसे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। अपील के लिए विशेष अनुमति मांगने वाली यह याचिका अभी भी लंबित है।

18. उपर्युक्त कारणों से, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी - अरविंद केजरीवाल को दिनांक 22.08.2022 की ईसीआईआर सं. एचआईयू-II/14/2022 के

मामले में 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, अर्थात वह 2 जून 2024 को निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर आत्मसमर्पण करेंगे:

(क) वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि हेतु 50,000/- रुपए की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानतदार को प्रस्तुत करेंगे;

(ख) वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे;

(ग) वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होगा कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक और आवश्यक न हो;

(घ) वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे; और

(च) वह किसी भी साक्षी से. बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।

19. अंतरिम जमानत देने को मामले के गुणागुण या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जो हमारे समक्ष विचाराधीन है।

मामले का परिणाम: अंतरिम जमानत दी गई।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट: प्रस्तुत महेश दलवी, होनी. सहायक संपादक

(द्वारा सत्यापित: शिबानी घोष, अधिवक्ता)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.